कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/माध्य–द/समसा/विविध/2018/161 दिनांकः 14/10/2019

राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)
जयपुर।

विषय :– राजस्थान में सुरक्षित विद्यालय कार्यक्रम (Safe School Programme) बाबत्।
प्रसंग :– F.5(3)(171)/RCScE/SWSHE/School Safety/2018/9807 दिनांक 18.9.2019

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान पुलिस तथा सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटैक्शन, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से राज्य में सुरक्षित विद्यालय कार्यक्रम (Safe School Programme) आरम्भ किया जा रहा हैं।

इस कार्यक्रम का पायलेट प्रोजेक्ट 5 जिलों (जयपुर, जोधपुर, अलवर, जैसलमेर एवं अजमेर) का चयन गत वर्षों में बाल शोषण से सम्बन्धित कानून POCSO के अन्तर्गत दर्ज केसों की संख्या के आधार पर किया गया है। पायलेट चरण में चयनित पांच जिलों से प्रत्येक जिलें के 5 उच्च माध्यमिक विद्यालायों को मॉडल सुरक्षित विद्यालय (Model Safe School) के रूप में विकसित किया जायेगा। पूर्व में MHRD द्वारा संचालित विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम जिसके कुछ मानक इस कार्यक्रम के समान ही है को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर में कार्यरत श्री गिरीश भारद्वाज हाईजिन ऑफिसर, द्वारा देखा जा रहा है।

अतः उक्त **"सुरक्षित विद्यालय कार्यक्रम"** के लिये भी श्री गिरीश भारद्वाज हाईजिन ऑफिसर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, कृपया इस सम्बन्ध में उन्हें समुचित क्रियान्वयन हेतु सतत् प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित करावें।

संलग्नः– यथोपरि

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक,सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटक्शन, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
5. श्री गिरीश भारद्वाज हाईजिन ऑफिसर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को पालनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

D:\ma - D\General letter\General latter.doc148

Safe School Concept Note

Concept

Safety and security of mankind are foundational principles by which man's world becomes the part of community and change. Generally individual as social being at the age of adulthood becomes capable of making own life "safe and secure" due to physical strength and socio-cultural as well as economic understanding of internal and external attributes of social milieu. Such understanding and physical strength are low in the child (till the age of 18 years generally) thus "safety and security" lack is there. It makes "child" soft target per everybody. In our opinion "safety to child in" informal word and in formal word is comma to a large strength, responsibility of safe, society and related intuitional structure such as family and school, in public and domestic sphere refined the activity in the form of violence against children which make school unsafe. Thus the role of police, education department and civil society organisation become important in contact of coordinated efforts.

preventing violence against children is squarely on the international development agenda. Sustainable Development Goal (SDG) target 5.1 calls for the elimination of all forms of violence against girls, and SDG target 16.2 calls for ending all forms of violence against children. Access to education is equally prominent within the SDGs, with SDG target 4.a to buildand upgrade education facilities that provide safe, non-violent learning environments for all.

Many efforts are underway that would help to achieve these goals. These activities take placein various settings. Schools have been identified as one important setting for conducting violence prevention efforts. The activities promoted as part of this initiative complement Enhancing access to education and providing life skills training through schools form one of the strategies.

In schools, the provision of education and organized activities are themselves powerful protection against violence. In addition, it is in these settings that opportunities arise to shape attitudes and norms about the acceptability of violence, alcohol and drug use, the carrying of weapons onto school grounds and other risks. In turn, preventing violence in the broader society can directly benefit the core aim of schools to educate children, foster high-quality lifelong learning, and empower leaners to be responsible global citizens.

A notion of a safe school must address this issue. The POCSO aims to protect children from sexual violence, sexual harassment and use of and for pornography, it fails to connect the victim with the law enforcement agency. Police comes in the picture only after an offence has been committed. Children are not even aware that they are covered within any ambit of legal support.

Thus, Police, UNICEF, and CCP together have developed a Safe School Programme to create safe environment for children in and outside the school premises. The project would work towards bridging the gap between police and children and building awareness among children and school staff (teachers n non teachers) on the subjects of child protection. Safe School Programme will be so implemented, that the role of stakeholders in supporting children in situations of child abuse is clarified and accessibility is assured. It would also establish with school authorities that as a risk mitigation measure, it is in their interest to institutionalize child protection measures.

The project also seeks to inform and make children aware that in case of sexual violence, sexual harassment and exploitation committed against them, legal recourse is available..

Objectives

1. A preventive school outreach program for creating a safe and protective environment for children in and outside schools.
2. To inform, make children aware and authentically establish that legal recourse is available.
3. Create a positive environment for complaint registration through confidence building measures.
4. Inform and orient students and stakeholders on complaint redressal mechanism legally.
5. Inculcate sensitivity among stakeholders regarding children and child protection issues.
6. To create Awareness about Child Sexual Abuse and provisions of POCSO Act.
7. Bridging the gap between Children, Police, School authorities and Community.
8. Increase in the number of cases reported.
9. `To impart information and clear understanding of various redressal mechanisms and support systems available and related processes.

10.Activity flowchart

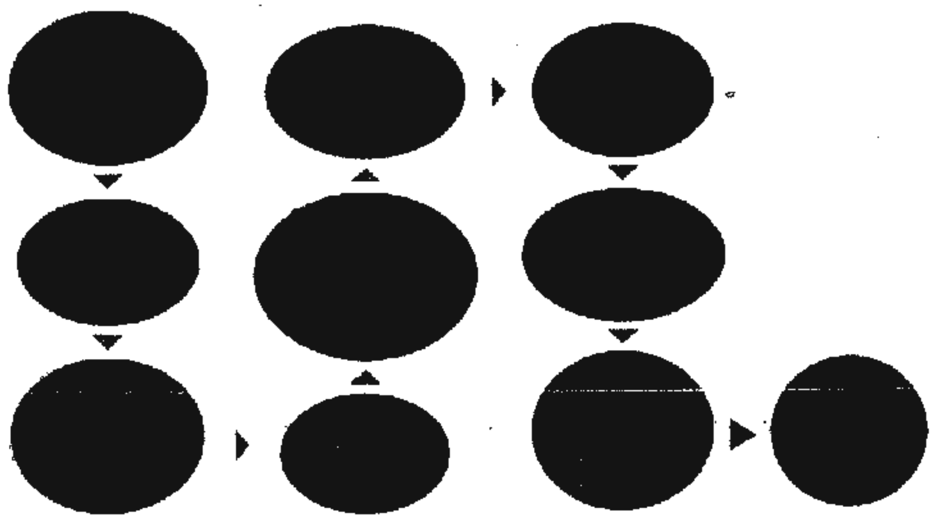

Project Strategy

The program can be broken into six steps to achieve the goal of engaging with twenty-five schools in five districts in 2019 and making them Model safe schools for others to replicate the same.

The model consists of seven steps as follow:

1. **Training of stakeholders**
2. **Acceptance and Orientation through conducting sessions by police officials and NSS/NCC volunteers once a week with students (classes6-12) in schools**
3. **Strengthening the bond between students and teachers through local forum's support**
4. **Identification and Mapping of protection risks**
5. **Identification and Mapping of Safe zone**
6. **Monitoring and Follow up**

Project Implementation: Activity time line

September

- ✓ Selection of five districts according to the need analysis data.
- ✓ Selection of schools/institutions in the district.

- ✓ Drafting and submission of letters for permissions from Education and Police Dep
- ✓ Creation of manual for sessions in schools and IEC material on safe school.
- ✓ Training of teachers police officials and NSS/NCC volunteers (for Jaipur district)

October

- ✓ Training of teachers police officials and NSS/NCC volunteers (for Alwar & Ajmer)
- ✓ Training of teachers police officials and NSS/NCC volunteers (for Jodhpur & Jaisalmer)
- ✓ Visit to the schools
- ✓ Meeting the local police department
- ✓ Printing of IEC material on safe school.

October

First Session by local police personnel in all 25 Schools with
Students of classes 8 -12 (one class every week in a group of 40 students)

November

- ✓ Session-2 by local police personnel in all 25 Schools with Students of classes 8 -12 (one class every week)
- ✓ Interaction with teaching and non-teaching staff

December

- ✓ Session-3 by local police personnel in all 25 Schools with Students of classes 8 -12 (one class every week)
- ✓ Sessions and meetings with SMCs, community groups (if any) and various other student forums/groups in the school.

January

- ✓ Session-4 by local police personnel in all 25 Schools with Students of classes 8 -12 (one class every week in a group of 40 students)
- ✓ Initiate to activate the student forums to create a safe space.

February

- ✓ Session-5 by local police personnel in all 25 Schools with Students of classes 8 -12 (one class every week in a group of 40 students)
- ✓ Strengthening of the student forums to create a safe space.

March

- ✓ Session-6 by local police personnel in all 25 Schools with Students of classes 8 -12 (one class every week in a group of 40 students)
- ✓ Mapping of safe and unsafe zones in and outside school.

April

- ✓ Follow up activities

- ✓ Monitoring

Rationale behind selection of districts for Safe School Programme

As per the SCRB Data till June'2018, few districts of Rajasthan had major number of cases under POCSO act. In a similar report, in a local newspaper-Rajasthan Patrika,5 districts topped the list for POSCO filed cases.

Thus, keeping the news/report as basis, CCP selected 5 districts for the implementation of safe school program in the period of next 1 year. In the first year, the project will be implemented in five districts with maximum number of cases of Child sexual abuse, namely –

1. Alwar
2. Jaipur
3. Jodhpur
4. Ajmer
5. Jaisalmer

"सेफ स्कूल प्रोग्राम"

सुरक्षित विद्यालय की संकल्पना और आधार

घटता हुआ लिंगानुपात हो या गिरता हुआ नामांकन, स्कूलों/कॉलेजों से ड्रॉपआउट की समस्या हो या बाल विवाहों की चौंकानेवाली संख्या, लड़कियों में काबिलियत और हौसला होने के बाद भी सीमित अवसरों तक ही रोक दिया जाना या फिर समाज परिवार में लड़कियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध/दबाव, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर इशारा करते हैं– "असुरक्षा की भावना/माहौल सुरक्षित नहीं है"।समाचार पत्रों में हर दिन ऐसी खबरों की बहुतायत है,जो अभिभावकों को और भी चिंतित कर जाती है।

अनेक शोधों और गहन अध्ययन ने यह स्पष्टता दी कि विकास के लिए उपयुक्त समस्या बाधा तो है ही किन्तु ऐसा भी है कि इस समस्या का हल भी हमारे बीच ही है।हरेक सामाजिक समस्या के लिए कानून की व्यवस्था और दंड का प्रावधान होते हुए भी हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं।कारण स्पष्ट है कि वह समूह जिसकी सुरक्षा के लिए यह कानून/सुरक्षा व्यवस्था की गई है और संस्थाऐं जो सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही हैं और सहयोग करने को तत्पर हैं उनमें आपसी दूरी और उपलब्ध सेवाओं की जानकारियों का अभाव है। जिनकी सुरक्षा हित मे कानून का प्रावधान किया गया है उन्हे जानकारी भी नहीं है कि उनके पास किस–किस तरह की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध है।

POCSO जैसे एक्ट के प्रावधान घटना घटने के बाद तो बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते ही है अपितु बच्चों के साथ घटना न घटे इस हेतु बच्चों के प्रति असामाजिक गतिविधियों–शोषण, यौनिक हिंसा, शारीरिक हिंसा से बचाव के साथ ही यौनिक दुर्व्यवहार,उत्पीड़न एवं अश्लील सामग्री के प्रयोग में बच्चों की संलिप्तता को प्रतिबंधित भी करता है।

चारों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से मिलकर"**सेफ स्कूल प्रोग्राम**"तैयार किया है ताकि स्कूल के अंदर और बाहर बच्चों के लिए एक सुरक्षित परिवेश तैयार किया जा सके। यह कार्यक्रम पुलिस और बच्चों के बीच के डर और दूरी को तो खत्म करने में सहायक होगा ही साथ ही स्कूल स्टाफ (टीचिंग व नॉन टीचिंग)औरअभिभावकों के बीच बच्चों के मुद्दों और उनसे जुड़ी सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने में भी मदद करेगा।

सेफ स्कूल प्रोग्राम-की अप्रोच से स्पष्ट है–

- कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए बच्चों और उनसे जुड़े समूहों में यह जानकारी पहुंचाना कि जाने अनजाने में क्या–क्या किया जाना बच्चों के हित म नहीं है।
- अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में बिना डर/झिझक के सूचित कर सहायता प्राप्त करना और पुलिस द्वारा संवेदनशीलता से सहयोग दिया जाना।
- स्कूल व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और अभिभावकों में यह समझ स्थापित हो कि बच्चों के प्रति जोखिम(रिस्क) कम करने के लिए कुछ मापदंड संस्था द्वारा तय किए जाएं और उनको अपनाया जाए।

कार्यक्रम के उद्देश्य–

- स्कूलों के अंदर और बाहर एक सुरक्षा और संरक्षण का वातावरण बन सके इस हेतु स्कूलों और उससे जुड़ी सभी इकाइयों (स्टाफ,अभिभावक,अधिकारी) में जागरूकता के लिए संवाद / संपर्क स्थापित करना।
- बच्चों और उनसे जुड़ी हित धारक सभी इकाइयों को सूचित करना और जागरूक करना कि उनके लिए सरकार द्वारा प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है।
- बिना झिझक / डर / संकोच के शिकायत दर्ज करने के लिए बच्चों और उनकी हितकारी इकाइयों में आत्मविश्वास और आपसी विश्वास का सकारात्मक वातावरण तैयार करना।
- कानूनी तौर पर शिकायत निवारण तंत्र की प्रक्रिया की जानकारी बच्चों और उनके हित धारकों को देना।
- बालसंरक्षण के मुद्दों पर हित धारकों में संवेदनशीलता के स्तरको बढ़ाना।
- बाल शोषण के और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाना।

कार्यक्रम से अपेक्षित परिणाम–

- बच्चों,पुलिस,स्कूल अधिकारियों और समाज के बीच बेहतर तालमेल और आपसी विश्वास का वातावरण निर्मित हो सकेगा।
- बच्चों से संबंधित अप्रिय घटना की रिपोर्ट दर्ज होने की संख्या में वृद्धि होगी।
- बच्चों से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न निवारण तंत्रों,उपलब्ध प्रणालियों और आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी का स्तर बढ़ेगा।
- अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी होने से के सनिवारण में पुलिस को सहयोग मिलेगा जिससे केस निवारण की संख्या में वृद्धि होगी।

कार्यक्रम की रूपरेखा–

चारों संस्थाओं द्वारा तैयार और संचालित इस कार्यक्रम को दोस्तर पर बाटकर देखा जा सकता है–

- कार्यक्रम योजना एवं तैयारी
- विद्यालयों में कार्य और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गतिविधियां

कार्यक्रम योजना एवंतैयारी–

आपसी सहमति के आधार पर निम्नलिखित योजना बनाई और तैयारी राज्य स्तर पर आप सब के सहयोग से की गई है।

- आवश्यकता एवं महत्व के विश्लेषण के आधार पर जिलों का चयन।
- परिषद की सहायता से प्रत्येक जिले में पायलेटफेस के लिए 5–5 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।
- शिक्षा व पुलिस विभाग का आपसी अनुबंध।

- स्कूलों में छात्र आयोजन के लिए सामग्री निर्माण।
- सेफ स्कूल प्रोग्राम के लिए आईईसी सामग्री का निर्माण।
- विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना।
- सभी विभागाध्यक्षों से राज्य स्तर पर सहमति एवं सहयोग प्राप्त करना।
- 5 जिलों की 25 टीमों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तर पर सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटक्शन द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसी प्रशिक्षण के अंतिम दिन जयपुर जिले की किसी एक चयनित विद्यालय में जयंती पखवाड़े की शुरुआत में रोल आउट इवेंट के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें चारों विभागों के प्रमुख इस कार्यक्रम को स्कूलों को समर्पित करेंगे।
- इसी पखवाड़े में शेष चयनित विद्यालयों में भी प्रथम सत्र आयोजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।
- आगामी गतिविधियों के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश आपको भेजे जाते रहेंगे तथा स्कूल और पुलिस से आवश्यक सूचनाएं मांगी जाती रहेंगी।

<u>विद्यालयोंमेंकार्य और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गतिविधियां</u>

प्रत्येक विद्यालय के लिए एक टीम

- प्रत्येक विद्यालय के लिए 5 सदस्यों की एक टीम जिम्मेदार होगी ,जिसमें निकटतम थाने से नामित पुलिस अधिकारी, स्कूल के प्रधानाचार्य और उनके द्वारा नामित टीचिंग अथवा नॉनटीचिंग स्टाफ में से एक अधिकारी तथा परिक्षेत्र से सक्रिय व संवेदनशील 2 एनएसएस/एनसीसी वॉलिंटियर होंगे।

गतिविधि आधारितसक्रियसत्रों का आयोजन

- प्रथम चरण में टीम का कार्य कक्षा 8 – 12 तक के विद्यार्थियोंको 40–40 का समूह बनाकर 6 सत्रों का आयोजन करना। प्रत्येक सत्र में बच्चों को नईजानकारी और उससे संबंधित गतिविधि करवाई जाएगी। अंत में 15 मिनट विद्यालय में वातावरण निर्माण और 15 मिनट में आ.. के सत्र में क्या सीखा परचर्चा और मूल्यांकन होगा। साथ ही ऐसा छोटा सा गृहकार्य भी दिया जाएगा जिससे बच्चे अगले माह होने वाले सत्र तक पूरा कर सकते हैं।टीम सदस्यों में से किसी का भी सहयोग ले सकते हैं।
- माह में एक समूह के लिए 1 – 1) घंटे का एक सत्र होगा। सत्र रोचक और गतिविधि आधारित रखने का प्रयास किया गया है किन्तु विद्यालय के प्रत्येक समूह का एक सत्र प्रत्येक माह में हो सके इस तरह योजना बनाई जाए। यदि एक विद्यालय में 4 समूह है तो साप्ताहिक सत्र आयोजित किया जा सकता है। 4 से ज्यादा समूह होने पर किन्ही सप्ताह में दो सत्रों का आयोजन भी करना होगा।
- शेष वर्ष में प्रत्येक समूह की अधिकतम7बैठक होंगी जिसके लिए समय का नियोजन, विद्यालय स्वविवेक से शारीरिक/स्वास्थ्य शिक्षा,खेल,लाइब्रेरी इत्यादिमें से किन्ही सत्रों में करवा सकते हैं। ये सत्र पुलिस अधिकारी की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए जाएं तो अधिक उपयोगी रहेगा।

सभी हित धारकों का प्रशिक्षण

- एसएमसी सदस्यों तथा टीचिंग और नॉनटीचिंग स्टाफ को भी बाल शोषण से बचाव के प्रति समझ और संवेदनशीलता विकसित करना उपलब्ध प्रावधानों और सहयोग तंत्र की प्रणाली और प्रक्रिया की जानकारी देना भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी है।
- स्थानीय मंचों और अवसरों में पुलिस और विद्यालय तथा समुदाय के बीच आपसी संवाद औ रबेहतर आपसी विश्वास के रिश्ते बनाने का प्रयास।

अन्य सार्थकऔरउपयोगीगतिविधिया

- विद्यालय के अंदर और बाहर सुरक्षा के प्रति जोखिम की पहचान और चित्रण।
- सुरक्षित व असुरक्षित की पहचान और चित्रण।
- बच्चों के मंचों को सक्रिय करना और उनके लिए सार्थक और उपयोगी गतिविधियों का नियोजन।
- निगरानी व मार्गदर्शन।
- सत्रों के साथ–साथ प्रार्थना सत्र, बालसभा, अन्य आयोजनो में भी समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों का विश्लेषण, अन्य छोटी–छोटी जानकारियॉं विद्यालय मे लगी प्रचार–प्रसार ज्ञानवर्धक सामग्री परचर्चा आदि की जाए, जिससे मुद्दे की गंभीरता और संवेदनशीलता बनी रहे।

कार्यक्रम एक नजर में–